

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29082020-221442
SG-DL-E-29082020-221442

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 116
No. 173]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942	[N. C. T. D. No. 116

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अगस्त, 2020

सं. 17/2020-राज्य कर

सं. फा. 3(36)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/66.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करते हैं कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :-

- (क) व्यक्ति;
 - (ख) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
 - (ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
 - (घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल, उप सचिव-IV (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th August, 2020

No. 17/2020- State Tax

No. F. 3 (36)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/66.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely:—

- (a) Individual;
 - (b) Authorised signatory of all types;
 - (c) Managing and Authorised partner; and
 - (d) Karta of an Hindu undivided family.
2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy.-IV (Finance)